**हस्तान्तरण**

**(Deed of Exchange)**

**तबादले का विलेख**

यह हस्तान्तरण (तबादला) विलेख दिनांक ............ को सर्वश्री ............ निवासी ............ प्रथम पक्ष और श्री ............ पुत्र श्री ............ निवासी ............. द्वितीय पक्ष के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि श्री ............ उपरोक्त संलग्न परिशिष्ट A में वर्णित सम्पत्ति का स्वामी होने के कारण और उपरोक्त श्री ............. संलग्न परिशिष्ट B में वर्णित सम्पत्ति के स्वामी होने के कारण जो कि इस विलेख का ही भाग है, आपस में उक्त सम्पत्तियों का तबादला करने को सहमत हो गये हैं।

अब इस विलेख के अनुसार निम्नांकित पर भी सहमति हो गई है।

1. यह कि उपरोक्त अनुबन्ध के अनुसार उपरोक्त श्री ............ अपनी उपरोक्त सम्पत्ति को श्री .... को सभी प्रकार के भार, कर, चार्जेज से मुक्त करके परिशिष्ट A के अनुसार और श्री .... अपनी सम्पत्ति परिशिष्ट B में वर्णित के अनुसार सभी प्रकार के भार, कर व चार्जेज से मुक्त कर श्री ............ को सौंपेंगे।
2. यह कि इस विलेख से सम्बन्धित प्रत्येक पक्षकार इस विलेख के द्वारा प्राप्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में सभी प्रकार के अधिकार मालकाना, हितार्थी तथा कब्जे आदि के प्राप्त करेगा।
3. यह कि प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार के अनुरोध और खर्चे पर वे सभी कार्य करेगा जो कि उचित प्रकार से आवश्यक हों अथवा उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में पूर्ण रूपेण अपनाने हेतु वांछित हों जो कि इस विलेख के माध्यम से हस्तान्तरित हुई हो।
4. यह कि पक्षकारों के नाम अंतरण होना तय पाया गया जब तक कि इस सन्दर्भ में कोई विरोधी अथवा अन्य प्रकार से अपने वारिसों, उत्तराधिकारियों, प्रबन्धकों और ग्रहीताओं को सम्मलित न करे।
5. यह कि इस विलेख पर उपरोक्त श्री ............ और श्री ........... द्वारा आज दिनांक ............ दिन ............ सन् ............ को आपस में हस्ताक्षर किये गये।

**हस्ताक्षर.......**

**साक्षीगण**

परिशिष्ट A (हस्तान्तरित सम्पत्ति के विवरण सहित) इस विलेख के अन्तर्गत श्री .....द्वारा हस्तान्तरित

1............

2...........

परिशिष्ट B (हस्तान्तरित सम्पत्ति के विवरण सहित) इस विलेख के अन्तर्गत श्री .......द्वारा हस्तान्तरित

1............

2...........

**टिप्पणी**

**बिक्री की परिभाषा** — किसी धनराशि का पूर्ण भुगतान किये जाने अथवा भुगतान किये जाने का वायदा करने पर अथवा आंशिक भुगतान और आंशिक का वायदा किये जाने के बदले में मिलकियत के हस्तान्तरण को बिक्री कहा जाता है।

**बिक्री कैसे की गई** — किसी ठोस (मूर्त) अचल सम्पत्ति जिसका मूल्य एक सौ रुपये और अधिक हो अथवा किसी अमूर्त वस्तु की बिक्री अथवा वापसी का हस्तान्तरण एक पंजीकृत दस्तावेज के द्वारा किया जा सकता है।

किसी ठोस अचल सम्पत्ति की दशा में जिसका मूल्य एक सौ रुपये से कम हो तो ऐसी सम्पत्ति का हस्तान्तरण या तो पंजीकृत दस्तावेज के द्वारा अथवा सम्पत्ति के हस्तान्तरण द्वारा किया जा सकेगा।

किसी ठोस (मृत) अचल सम्पत्ति की सुपुर्दगी तब पूर्ण होती है जब विक्रेता द्वारा क्रेता अथवा उसके द्वारा निर्देशित व्यक्ति को सम्पत्ति का कब्जा दे देता है ।

**बिक्री का अनुबन्ध** - किसी अचल सम्पत्ति की बिक्री का अनुबन्ध तब अनुबन्ध कहलाता है जब पक्षकारों के मध्य तय शुदा शर्तों पर इस सम्पत्ति की बिक्री होती है।

ऐसी सम्पत्ति में स्वत: ही कोई हित अथवा चार्ज उत्पन्न नहीं हो जाता।